न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ जिला अनूपगढ़ (राज.)
बइजलासः–अजीत कुमार गोदारा (आर.ए.एस.)
प्रकरण सख्याः–05 / 2022 जी.एस.एम.एस.नं.–2022 / 42

1. बिन्द्रपाल सिंह पुत्र नरसिंह जाति जटसिख उम्र 50 वर्ष निवासी चक–6 जे एम तहसील अनूपगढ़ जिला अनूपगढ़
2. ईकबाल सिंह पुत्र हाकम सिंह जाति जटसिख उम्र 51 वर्ष निवासी चक–6 जे एम तहसील अनूपगढ़ जिला अनूपगढ़

— **प्रार्थीगण**

बनाम्

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व, अनूपगढ़ जिला अनूपगढ़

— **अप्रार्थी**

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल. आर. एक्ट

::निर्णय:: **दिनांक–13.05.2024**

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वाके चक 6 जे. एम. तहसील अनूपगढ़ के खाता नया खाता सं.–100 पुराना 71 का मुरब्बा नं.–14 पत्थर नं.–183 / 64 का 1.771 हैक्टर मुरब्बा नं.–23 पत्थर नं.–184 / 57 का 0.759 हैक्टर, मुरब्बा नं.–13 पत्थर नं.–203 / 08 का 5.819 हैक्टर, मुरब्बा नं.–12 पत्थर नं.–203 / 16 का 0.380 हैक्टर व मुरब्बा नं.–24 पत्थर नं.–204 / 1 का 2.783 हैक्टर कुल 11.512 हैक्टर कमाण्ड मय खाला रकबा चेतराम, शिवलाल पिसरान तिरखाराम जाति ब्राह्म्ण के नाम से बहिस्सा बराबर खातेदार दर्ज है। यह कि राजस्थान भूमि सुधार तथा जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम 1952 की धारा 12(4) के अर्न्तगत शिवलाल, छोटेलाल, चेतराम पिसरान तिरखाराम कौम ब्राह्म्ण निवासी गांव पनपालिया के नाम से खसरा नं.–28 का 3.12 बीघा खसरा नं.–29 में 64.16 बीधा कुल 68.08 बीघा के बहिस्सा बराबर खातेदारी हक प्रदान किए जाकर इनके नाम से खातेदारी प्रमाण पत्र जारी किया गया है। गांव पनपालिया जागीर छतरगढ़ तहसील अनूपगढ़ की सूची नं.–4 के अनुसार खसरा नम्बर 28 की भूमि तहसील अनूपगढ़ के चक 6 जे एम का मुरब्बा नं.–20 / 16 के रूप में व खसरा नं.–29 की भूमि चक 6 जे एम का मुरब्बा नं.–203 / 15 मुरब्बा नं.–203 / 64 मुरब्बा नं.–203 / 8, मुरब्बा नं.–203 / 16, मुरब्बा नं.–204 / 1, मुरब्बा नं.–204 / 9 व मुरब्बा नं.–184 / 57 के रूप में पैमुद हुई थी। उक्त भूमि के आवंटी शिवलाल, छोटेलाल, चेतराम पिसरान तिरखाराम ने 10 गुणा लगान जमा करवाकर खातेदारी प्राप्त होने पर छोटेलाल पुत्र तिरखाराम ने अपने नाम की उक्त भूमि वाके चक 6 जे एम के मुरब्बा

(अजीत कुमार गोदारा)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

नं.–184/39 के किला नं.–5,6 की 2 बीघा प्रार्थी सं.–1 बिन्द्रपालसिंह को जरिए बैयनामा दिनांक–07.08.1978 को विक्रय कर कब्जा भूमि प्रार्थी सं.–01 के सुपुर्द कर दिया एवं इसी प्रकार खातेदार छोटेलाल पुत्र तिरखाराम ने अपने नाम की कृषि भूमि वाके चक 6 जे एम के मुरब्बा नं.–183/64 के किला नं.–25 की 01 बीघा व मुरब्बा नं.–184/39 के किला नं.–4 की 01 बीघा कुल 2 बीघा रकबा का बेचान जरिए बैयनामा दिनांक–10.08.1978 को प्रतिफल की ऐवज में प्रार्थी सं.–02 के पक्ष में कर दिया एवं बैयनामा की दिनांक से उक्त भूमि का कब्जा भी प्रार्थीगण के सुपुर्द कर दिया जिस पर तब से लेकर आज रोज तक प्रार्थीगण का निरन्तर शांतिपूर्वक कब्जा चला आ रहा है बैयनामाजात की प्रतियां संलग्न प्रार्थना पत्र है। उक्त कृषि भूमि को श्रीमान् शासन उप सचिव उपनिवेशन विभाग राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक 4 (32) राज/उप/79 दिनांक–04.05.1992 के प्रभाव से राजस्व रिकॉर्ड में गैरखातेदारी दर्ज कर दी गई। राजस्थान सरकार द्वार अधिसूचना नम्बर एफ4(4)बवस/04 दिनांक–03.10.2008 को ऐसी कृषि भूमि के काश्तकारान/खरीददारान को खातेदारी देकर राजस्व रिकॉर्ड मे अमलदरामद करने हेतु जारी की गई है जिसमें राजस्थान उपनिवेशन(इ.गा. न.प. क्षेत्र में आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के नियम 21 ए में संशोधन किया गया है। प्रार्थीगण का राज्य सरकार की उक्त अधिसूचना के मुताबिक उक्त कृषि भूमि के लिए आवेदन प्रस्तुत करने पर प्रार्थीगण का ज्ञात हुआ कि राजस्व अधिकारियों द्वारा खसरा गिरदावरी सम्वत 2024–27 बनाते/संधारित करते समय सहबन से छोटेलाल पुत्र तिरखाराम का नाम दर्ज होने से छूट गया था जो आज तक वर्तमान जमाबंदी मे इसी अनुरूप चला आ रहा है। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि खतौनी दर्मियानी में जमाबंदी गांव पनपालिया सम्वत 2010 से 2013 व 2018 से 2021 तक मे तथा खसरा गिरदावरी गांव पनपलिया सम्वत 2020 से 2023 तक में खसरा नम्बर 28 व 29 का कुल 68.08 बीघा रकबा शिवलाल, छोटेलाल, चेतराम पिसरान तिरखाराम कौम ब्राह्मण के नाम से संयुक्त रूप से बहिस्सा बराबर राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन है।

यह कि उपरोक्तानुसार खसरा गिरदावरी सम्वत 2024 से 2027 मे राजस्व रिकॉर्ड संधारित करते समय सहबन से हुई त्रुटि के कारण वर्तमान जमाबंदी कृषि भूमि वाके चक 6 जे एम अनूपगढ़ का मुरब्बा नं.–14 पत्थर नं.–183/64 का 1.771 हैक्टर, मुरब्बा नं.–23 पत्थर नं.–184/57 का 0.759 हैक्टर, मुरब्बा नं.–13 पत्थर नं.–203/08 का 5.819 हैक्टर, मुरब्बा नं.–12 पत्थर नं.–203/16 का 0.380 हैक्टर व मुरब्बा नं.–24 पत्थर नं.–204/1 का 2.783 हैक्टर कुल 11.512 हैक्टर कमाण्ड मय खाला रकबा चेतराम, शिवलाल पिसरान तिरखाराम जाति ब्राह्मण के नाम गैर खातेदार है, को दुरूस्त किया जाकर इनके साथ छोटेलाल पुत्र तिरखाराम कौम ब्राह्मण का नाम सह खातेदार के रूप में शुद्धि कर जोड़ा जाकर चेतराम शिवलाल, छोटेलाल पिसरान तिरखाराम जाति ब्राह्मण के नाम बहिस्सा बराबर गैरखातेदार दर्ज किया जाना न्यायहित मे आवश्यक है ताकि प्रार्थीगण उक्त भूमि की नियमन

उप जिला कलेक्टर अनूपगढ़

(अजीत कुमार गोदारा)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

राशि जमा करवाकर अपने नाम से खातेदारी अधिकार प्राप्त कर सके चूंकि प्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि जरिए पंजीकृत बैयनामाजात खरीद की गई है। इस प्रकार उक्त त्रुटि राजस्व कर्मचारियों की गलती से एवं सहबन से रिकार्ड संधारित करते वक्त हुई है जो कि एक सदभाविक व मानवीय भूलवश हुई त्रुटि है जिसे दुरूस्त किया जाकर रिकॉर्ड में उपरोक्तानुसार शुद्धिकरण किया जाना न्यायहित मे न्यायसंगत है। प्रार्थीगण ग्रामीण परिवेश के काश्तकार पेशा व्यक्ति है प्रार्थीगण द्वारा उक्त शुद्धि करवाने हेतु एक प्रार्थना पत्र दिनांक 10.09.2021 को श्रीमान् तहसीलदार, अनूपगढ़ के समक्ष पेश किया गया था उक्त प्रार्थना पत्र की जांच के दौरान श्रीमान् तहसीलदार, द्वारा रिपोर्ट पटवारी हल्का चक–3 जे एम से ली जाकर पत्राल क्रमांक–भू.अ./2021/294 दिनांक–30.09.2021 को छोटेलाल का नाम सह खातेदार के रूप में शुद्धि कर जोडे जाने की अनुशंषा की जाकर श्रीमान् न्यायालय को आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित की गई है उक्त पत्रावली को निस्तारण हेतु तलब की जानी न्यायहित में आवश्यक है। इसलिए प्रार्थीगण को यह प्रार्थना पत्र श्रीमान् न्यायालय में प्रस्तुत करना पड़ रहा है।

प्रकरण दर्ज रजि. किया गया। तहसीलदार, अनूपगढ़ से पूर्व में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर कार्यालय पत्रांक–2924 दिनांक–30.09.2021 द्वारा प्राप्त रिपोर्ट प्रार्थना पत्र में संलग्न की गई। मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट चक–6 जे एम का पत्थर नं.–183/64 का 1.771 हैक्टर, पत्थर नं.–184/57 का 0.759 हैक्टर, पत्थर नं.–203/8 का 5.819 हैक्टर, पत्थर नं.–203/16 का 0.380 हैक्टर, पत्थर नं.–204/1 का 2.783 हैक्टर कुल 11.512 हैक्टर कमाण्ड मय खाला रकबा चेतराम शिवलाल पिसरान तिरखाराम जाति ब्राह्मण के नाम ब.हि.ब. गैरखातेदार दर्ज है। उपनिवेशन प्रमाण पत्र धारा 12 (4) अन्तर्गत प्रमाण पत्र खातेदारी के खसरा नं.–28 का 3.12 बीघा व खसरा सं.–29 में 64.16 बीघा कुल 68.08 बीघा रकबा शिवलाल छोटेलाल, चेतराम पिसरान तिनखाराम जाति ब्राह्मण के नाम से जारी है। खातौनी दर्मियानी मे भी शिवलाल, छोटेलाल,चेतराम पिसरान तिरखाराम जाति ब्राह्मण का अंकन है। जमाबंदी गांव पनपालिया सम्वत् 2010 से 2013 व 2018 से 2021 तक मे खसरा सं.–28 व 29 का कुल 68.08 बीघा रकबा भी शिवलाल, छोटेलाल, चेतराम पिसरान तिरखाराम जाति ब्राह्मण का अंकन है। खसरा गिरदावरी गावं पनपालिया सम्वत् 2020 से 2023 तक में भी शिवलाल, छोटेलाल, चेतराम पिसरान तिरखाराम जाति ब्राह्मण का अंकन है। खसरा गिरदावरी ग्राम 6 जे एम के पत्थर नं.–203/16 के कालम सं.–6 में शिवलाल वगैरहा बशरह मुरब्बा नं.–203/15 किला नं.–21 खातेदार का अंकन है। पत्थर नं.–203/15 का आधा पृष्ठ फटा हुआ है। परन्तु पत्थर नं.–203/15 के कालम सं.–16,24,32,40 के अनुसार किसी प्रकार की प्रविष्टि अंकित नही है। जिससे यह प्रतीत होता है कि सहखातेदार छोटेलाल द्वारा किसी प्रकार का कोई हस्तांतरण नही किया। खसरा गिरदावरी ग्राम चक–6 जे. एम. सम्वत् 2024 से 2027 तैयार करते समय सहवन से पत्थर

उप जिला कलैक्टर जिला अनूपगढ़

उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

नं.—203 / 15 व पत्थर नं.—203 / 16 में छोटेलाल का नाम का अंकन छूट गया। जो आज तक वर्तमान जमाबंदी में इसी अनुरूप चला आ रहा है। तथा वर्तमान जमाबंदी खाता सं.—100 में छोटेलाल का नाम सहखातेदार के रूप में शुद्धि कर जोड़े जाना उचित बताया है।

तदुपरांत बहस सुनी जाकर पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत समस्त दस्तावेजात व रिपोर्ट पर मनन करने के पश्चात न्यायालय की राय में प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को अपने पक्ष में साबित/सिद्ध करने में सफल रहे कि प्रार्थीगण राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी खाता संख्या नया 100 में उपरोक्तानुसार खसरा गिरदावरी सम्वत् 2024 से 2027 में राजस्व रिकार्ड संधारित करते समय सहबन से त्रुटि के कारण रिकॉर्ड मे दर्ज शिवलाल पिसरान तिरखाराम कौम ब्राह्मण हुई है। अतः प्रार्थना—पत्र स्वीकार किये जाने योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाकर न्यायहित में प्रार्थीगण की जाति राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

::आदेश::

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 स्वीकार किया जाकर खाता सं.—100 पुराना 71 मे दर्ज कृषि भूमि वाके 6 जे एम तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं.—14 पत्थर नं.—183 / 64 का 1.771 हैक्टर, मुरब्बा नं.—23 पत्थर नं.—184 / 57 का 0.759 हैक्टर, मुरब्बा नं.—13 पत्थर नं.—203 / 16 का 0.380 हैक्टर व मुरब्बा नं.—24 पत्थर नं.—204 / 1 का 2.783 हैक्टर कुल 11.512 हैक्टर कमाण्ड मय खाला रकबा चेतराम, शिवलाल, छोटेलाल पिसरान तिरखाराम जाति ब्राह्मण के नाम बहिस्सा बराबर गैर खातेदार एतदद्वारा दुरूस्त किया जाता है। अप्रार्थी तहसीलदार (राजस्व एवं भू.अ.), अनूपगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त दुरूस्ती का राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जाना सुनिश्चित करें।

निर्णय मेरे द्वारा आज **दिनांक—13.05.2024** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

कार्यालय उप जिला कलेक्टर जिला अनूपगढ़

(अजीत कुमार गोदारा)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़